संख्या-111/2024/आई/520898/23-1-24/001-23-1002(002)/63/2024

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 15 मार्च, 2024**

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु विभिन्न जनपदों के 07 मार्गों के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में **वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु विभिन्न जनपदों के 07 मार्गों के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण कार्यों हेतु कुल लागत रू0** 52,23,02,000/- (रूपये बावन करोड़ तेईस लाख दो हजार मात्र) **की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ** चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल **रू0 7,00,000/- (रूपये सात लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र सं0 व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	कुल लम्बाई (कि0मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	370सी0/27सी0- नवीनीकरण आगणन/ आगरा क्षेत्र/मूल/आगरा क्षेत्र/मूल/23, दिनांक 16.02.2024	नि0खं0-2 आगरा	एन0एच0-2 से एन0एच0-3 को जोड़ने वाला दक्षिणी बाईपास मार्ग (अन्य जिला मार्ग) का सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	21.200	667.59	1.00
2	370सी0/27सी0- नवीनीकरण आगणन/ आगरा क्षेत्र/मूल/आगरा क्षेत्र/मूल/23, दिनांक 16.02.2024	नि0खं0-1 मथुरा	मथुरा वृन्दावन मांट नौहझील मार्ग के किमी0 27 से 37.38 (800) से 45 एवं किमी0 46(520) तक सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य। प्रमुख जिला मार्ग-123	19.320	615.30	1.00
3	370सी0/27सी0- नवीनीकरण आगणन/ आगरा क्षेत्र/मूल/आगरा क्षेत्र/मूल/23, दिनांक 16.02.2024	प्रा0खं0 मैनपुरी	कुर्रा भावत एलाऊ भोगांव मार्ग (अ0जि0मा0) किमी0 1, 2, 3(800), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, एवं 32 तक सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	28.800	761.55	1.00
4	3671सी0/27सी0- नवीनीकरण आगणन/ अलीगढ़ क्षेत्र/मूल/24-25, दिनांक 16.02.2024	प्रा0खं0 कासगंज	जनपद कासगंज में कासगंज बाईपास (02 लेन बिद पेव्ड शोल्डर) मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17(600) व 18(400) में बी0सी0 द्वारा तक सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	17.00	774.85	1.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र सं0 व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	कुल लम्बाई (कि0मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
5	3671सी0/27सी0- नवीनीकरण आगणन/ अलीगढ़ क्षेत्र/मूल/24-25, दिनांक 16.02.2024	नि0खं0-1 अलीगढ़	अलीगढ़ शहर बाईपास मार्ग (अ0जि0 मा0) के 1(510), 2, 3, 4, 5(800), 6, 7, 8, 9, 10(380), 11, 12, 13, 14(980), 15(420), 16, 17, 18, 19(250), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38(400) में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	29.740	953.88	1.00
6	3669सी0/27सी0- नवी0 बरेली मूल/23-24, दिनांक 16.02.2024	प्रा0खं0 पीलीभीत	पीलीभीत माधौटांडा कालीनगर शाहगढ़ आसान मार्ग के किमी0 1 से 30 तक सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	30.000	888.22	1.00
7	3669सी0/27सी0- नवी0 बरेली मूल/23-24, दिनांक 16.02.2024	नि0खं0-1 शाहजहांपुर	जलालाबाद शमसाबाद मोहम्मदाबाद सौरिख विधुना मार्ग (राज्य मार्ग सं0-163) के किमी0 8 से 17(850), 18(940), 19(987), 20(975) एवं 21(770) पर सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	13.522	561.63	1.00
				कुल योग-	**5223.02**	**7.00**

(1) प्रश्नगत कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्यों को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/ अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा की परियोजना में जी0एस0टी0 की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जमा की जायेगी।

(4) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2024 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(6) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा सड़क निधि नियमावली में किये गये प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(7) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृति/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है।

(8) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(9) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत स्वीकृत न हों व नवीनीकरण के निर्धारित मानकों को पूरा करते हों।

(11) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(12) संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का यह उत्तरदायित्व होगा कि कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये ताकि अगले नवीनीकरण चक्र तक सड़क की स्थिति यातायात हेतु सुगम बनी रहे व शीघ्र क्षतिग्रस्त न हो।

(13) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं शासनादेश सं0-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 व अन्य सुसंगत शासनादेशों एवं विभागीय व्यय-वित्त समिति की बैठक दिनांक 05.03.2024 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 7,00,000/- (रूपये सात लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक** में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-111/2024/आई/520898/23-1-24/001-23-1002(002)/63/2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/लोक निर्माण अनुभाग-6/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।